



प्रेसनोट / सराहनीय कार्य (पत्रांक-310/2020 दिनांक 05.11.2020)

दिनांक- 05.11.2020 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

अज्ञात हत्या का अनावरण व मय आलाकल्ल के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार-

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना को० पडरौना व स्वाट सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा थाना को० पडरौना क्षेत्रान्तर्गत दिनांक 31.10.2020 को ग्राम जंगल कटनवार में एक अज्ञात महिला की सिरकटी लाश बरामद हुई थी, जिस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 436/2020 धारा 302, 201 ipc बनाम अज्ञात मृतका अज्ञात पंजीकृत होकर विवेचना प्रभारी निरीक्षक पडरौना द्वारा की जा रही थी, विवेचना के क्रम में मृतिका के शव की शिनाख्त कलावती उर्फ पूजा पुत्री हरिलाल निषाद सा० बांसगांव टोला तिलगांवां थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई। आज दिनांक 05.11.2020 को उक्त घटना में सम्मिलित अभियुक्त नियाज साह पुत्र फेकू सा० जंगल बेलवा टोला देवकीनगर थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बांका (बड़ा छुरा) खून लगा बरामद किया गया।

घटना का विवरण-

मृतका की शादी कसया में सुबाष निषाद निवासी गुरमियां के साथ करीब 14 वर्ष पूर्व हुई थी। पति से सम्बन्ध विच्छेद हो गया था। वर्तमान में यह मृतिका अपने मौसी गुलाइची निवासी सोहनपुर थाना कोतवाली पडरौना के सम्पर्क में थी व पडरौना में छावनी बड़ी नहर के पास सुनीता चौधरी पत्नी रामजी चौधरी के यहां विगत 5 से 6 महीने से रहकर अपना जीवकोपार्जन कर रही थी। मृतका का सम्बन्ध रामध्यान पुत्र श्यामदेव निवासी ग्राम कटनवार थाना कोतवाली पडरौना से हो गया था। इसी बीच मृतका ने अपने मौसी के बेटे रमेश साहनी को एक टेम्पू खरीदकर चलाने के लिये दी थी जिससे रामध्यान बहुत नराज चल रहा था। कई बार टेम्पू अपने नाम से कराने के लिये दबाव बनाया जब मृतका नहीं मानी तो अपने मित्र गिरफ्तार अभियुक्त नियाज साह के साथ मिलकर मृतका को घटना दिनांक 30.10.2020 की शाम को सुनीता के घर से बुलाकर अपने मोटरसाईकिल पर बैठाकर ले गया व कटनवार घटनास्थल पर ले जाकर बांका से काटकर हत्या कर दिया व बाकें को नहर के किनारे छिपा दिया था जो अभियुक्त के निशानदेही पर बरामद किया गया है। अभियुक्त रामध्यान के गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी -

1. एक अदद आलाकल्ल घटना सम्बन्धित बांका (बड़ा चाकू) - 01 अदद

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. नियाज साह पुत्र फेकू साह सा० जंगल बेलवा टोला देवकीनगर थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अनुज कुमार सिंह थाना कोतवाली पडरौना कुशीनगर
2. निरीक्षक श्री आनन्द कुमार गुप्ता स्वाट टीम प्रभारी
3. उ० नि० अमित शर्मा स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
4. उ० नि० श्री राघवेन्द्र सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
5. उ० नि० श्री नागेन्द्र सिंह थाना कोतवाली पडरौना
6. उ० नि० श्री प्रमोद कुमार थाना कोतवाली पडरौना
7. हे० का० श्री मुबारक अली स्वाट टीम कुशीनगर
8. हे० का० श्री सुशील कुमार सिंह सर्विलांस सेल कुशीनगर
9. का० हिमांशु सिंह थाना कोतवाली पडरौना
10. का० सतीश कुशवाहा थाना कोतवाली पडरौना
11. का० वीरेन्द्र सिंह थाना कोतवाली पडरौना
12. का० चन्द्रभान वर्मा सर्विलांस सेल कुशीनगर
13. का० अशोक सिंह स्वाट टीम कुशीनगर
14. का० शिवानन्द सिंह स्वाट टीम कुशीनगर

15.का0 अखिलेश यादव स्वाट टीम कुशीनगर

अवैध पटाका के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-(कुल-05)

थाना कुबेरस्थान-

थाना कुबेरस्थान पुलिस टीम द्वारा एक अभियुक्त कृष्णमोहन चौरसिया पुत्र फुलेना चौरसिया सा0 कठकुईया बाजार वार्ड नं0 03 को कठकुईया बाजार वार्ड नं0 03 के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त द्वारा अपने दुकान के बगल में अवैध विस्फोटक पटाखे रखकर घनी आबादी में बेचा जा रहा है जिसके पास किसी प्रकार का कोई लाईसेन्स/बेचने का अधिकार पत्र नहीं है। अभियुक्त की निशानदेही पर दो प्लास्टिक के बोरे में पटाखे रखे हुए बरामद हुए। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 196/2020 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम 1884 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

विवरण बरामदगी-

1.चटाई बडा- TAJ ब्राण्ड का 03 बण्डल, TUREY 07 बण्डल, PENGUN COBRA एक बण्डल चटाई छोटा, -MUNNABHAI ब्राण्ड 02, JAWAN Brand 02 बण्डल, अनार-Flower pot Big 23 पैकेट, Taj Green Hydro 2 बण्डल (20 पैकेट), Flower pots jurepriya, 07 पैकेट, घोड़ा छाप मिनी बुलेट 02 बण्डल (20 पैकेट), उजाला बम 01 बण्डल (10 पैकेट), Green Hydro02 बण्डल (20 पैकेट), जय जवान मिनी बुलेट 05 बण्डल (50 पैकेट), Turkey मुर्गी छाप मिर्ची बम 20 पैकेट, राकेट(बडा) 2 पैकेट, राकेट(छोटा) 01 पैकेट, तुलसी चरखी 20 पैकेट, लाईटर 06 पैकेट, ग्राउंड चकरी 13 पैकेट कुल वजन - 42 किग्रा0 अनुमानित कीमत लगभग -35000।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1.SO श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 श्री विरेन्द्र कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 3.हे0का0 संजय सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 4.हे0का0 योगेश यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
- 5.का0 रामनिवास यादव थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा-

आज दिनांक 05.11.2020 को थाना विशुनपुरा पुलिस की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर कस्बा दुदही के पास से अवैध पटाखा रखने व बेचते हुए अभियुक्त नूरहसन पुत्र जहूर सा0 दुदही जामा मस्जिद मोहल्ला थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से (मय 367 पैकेट भिन्न भिन्न कम्पनी) बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 255/20 धारा 9 ख विस्फोटक अधिनियम 1884 में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1.एसओ बृजेश कुमार मिश्रा थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 संतराज यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 3.का0 चन्दन कुमार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 4.का0 अनिल मौर्य थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 5.का0 राजहंस यादव थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 6.का0 विजय कुमार थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
- 7.म0का0 शिल्पा शर्मा थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

थाना सेवरही-

आज दिनांक 05.11.2020 को थाना सेवरही पुलिस टीम द्वारा 1. कन्हैया केसवारी पुत्र किशोरीलाल केसरवानी निवासी वार्ड नम्बर 11 सुभाष नगर थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के दुकान व मकान से मुर्गाछाप पटाखा लालकलर 2020 पैकेट, क्लासिक सेरपेंट एग 3000 पैकेट, कलर स्पार्कर 500 पैकेट, बुलेट बम 250 पैकेट, किंग आफ किंग ब्राण्ड पटाखा 50 पैकेट, कृष्णा कलर स्पार्कर 100 पैकेट, कृष्णा स्पार्कर ब्राण्ड पटाखा 310 पैकेट, फ्लावर पोट्स स्माल पटाखा 150 पैकेट, रोल गैप्स पटाखा 130 पैकेट, ग्राउण्ड चक्कर स्पेशल 400 पैकेट, रेड स्पार्कर 150 पैकेट, राकेट बम 75 पैकेट, मगर छाप पटाका 101 पैकेट, मुर्गा छाप पटाका छोटा पैकेट 154 पैकेट, कुल 7390 पैकेट बरामद किया गया है। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 246/2020 धारा 9(ख) विस्फोटक अधिनियम वर्ष 1884 थाना सेवरही जनपद कुशीनगर पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

बरामदगी करने वाली टीम -

- 1.थानाध्यक्ष श्री उमेश कुमार थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 2.उ0नि0 श्री पुरूषोत्तम राव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर

- 3.का0 रामेन्द्र यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 4.का0 रितेश यादव थाना सेवरही जनपद कुशीनगर
- 5.का0 अरविन्द यादव थाना सेवरही कुशीनगर
- 6.का0 शिवम् सिंह थाना सेवरही कुशीनगर
- 7.म0का0 रूक्मिणी मिश्रा थाना सेवरही कुशीनगर

थाना रामकोला-

आज दिनांक 05.11.2020 को थाना रामकोला पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 1. राजकुमार रौनियार पुत्र जवाहिर लाल साकिन वार्ड नं0 11 खेतान मिल रोड कस्बा रामकोला थाना रामकोला जनपद कुशीनगर 2. ओमप्रकाश रौनियार पुत्र स्व0 रामजी निवासी वार्ड नं0 7 कस्बा रोड रामकोला थाना रामकोला जिला कुशीनगर के घरों से अवैध पटाखा 8 बड़ा गत्ता व 8 प्लास्टिक की बोरियों व एक कम्बल में बंधा हुआ पटाखा (बम चटाई, अनार, छुरछुरिया, गट्टा बम) बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 317/2020 धारा 5/9ख विस्फोटक अधिनियम पर पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

- 1.प्रभारी निरीक्षक श्री करुणेश प्रताप सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 2.व0उ0नि0 जगमोहन राय विवेकानन्द यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 3.का0 अमित कुमार सिंह थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
- 4.का0 रमेश यादव थाना रामकोला जनपद कुशीनगर
5. का0 केशव चौहान थाना रामकोला जनपद कुशीनगर

अवैध शराब बिक्री/परिवहन/निष्कर्षण के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-(कुल-01)

थाना तुर्कपट्टी-

थाना तुर्कपट्टी पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुरेश पुत्र बंगाली सा0 मसान धुस थाना तुर्कपट्टी जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से कुल 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 396/20 धारा 60 आबकारी अधि0 में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(कुल-01)

थाना कसया-

थाना कसया पुलिस टीम द्वारा 01 नफर अभियुक्त सुनील मदेशिया पुत्र जयप्रकाश मदेशिया सा0 भठही राजा थाना कसया जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अन्तर्गत मु0अ0सं0 727/20 धारा 304,323,504 भादवि में आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 12 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 151 सीआरपीसी के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में =

1. मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-274 वाहन।
2. 107/116 जा0फौ0 में की गयी कार्यवाही-मु0-19, व्यक्ति-46।
- 3.आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही-मु0-01,अभि0-01, बरामदगी-10 ली0 अवैध कच्ची शराब
4. वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी - 02
- 5.अवैध पटाखा के विरुद्ध की गयी कार्यवाही-मु0-04,अभि0-05, बरामदगी-भारी मात्रा में अवैध पटाखा
6. जनपद में कुल गिरफ्तारी - (कुल-20)।